108

232

समक्षः पीठासीन अधिकारी राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किटकोर्ट रीवा म.प्र.
प्रकरण क्रमांक R.1942-दो/14

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

RS-20/-

R 1942-II/14

1- इन्द्रपति जोगी ॥
2- अमरनाथ जोगी ॥ पिसरान स्व. शिवदास जोगी,

निवासी ग्राम मुर्तिहा तहसील बहरी जिला - सीधी म.प्र.

3- रामकली पुत्री शिवदास जोगी सा. पुरबा तहसील देवसर जिला -सिंगरौली

-------- पुनरीक्षणकर्ता

श्री. शारदा प्रसाद मिश्रा एड. द्वारा आज दिनांक...26.5.14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम.

1- जनार्दन तनय दुःखहरण जोगी ।

2- नर्वदा ॥

3- त्रिवेणी ॥ तनय धुरन्धारी जोगी

4- पंचावतीदेवी पत्नी केदार जोगी

5- देवेन्द्रनाथ ॥
6- सुरेश ॥ तनय केदार जोगी
7- दिनेश ॥

8- बेलाकली ॥
9- फूलकली ॥
10- कुसमी ॥ पिसरान स्व. केदार जोगी
11 पानकली ॥
12 बिन्दु ॥
13-छोटकिया ॥

14 रन्नू देवी पत्नी रमेश जोगी

15 कैर ॥
16- हिछपति ॥ तनय मनफेर जोगी

क्र -2

सभी निवासी ग्राम मुर्तिहा तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र.

——— गैर निगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी के रा. प्र. क्र. 52 / निग. / 08-09 में पारित आदेश दिनांक 29.3.14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं. 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सक्षम तथ्य

§अ§ यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति उठाई गयी थी कि आवेदक गैर निगरानी कर्ता / जार्जन जोगी द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो त्रुटि सुधार के लिए था वह नवीन प्रविष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि इसके पूर्व गैर निगरानीकर्ता का अवेदित आराजियात पर कभी किसी प्रकार से कब्जा दखल नही रहा है अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया था कि, प्रकरण अप्रचलन शील होने से निरस्त किये जाने योग्य है किन्तु विचारण न्याया. ने आवेदन को प्रचलन योग्य माना था ।

§ब§ यह कि उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने प्रथम पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं निगरानीधीन भूमियों के सम्बन्ध मे व्यवहार न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा का दो पृथक - पृथक व्यवहार वाद भी प्रस्तुत किया था जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गयी थी जिसकी प्रति भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी किन्तु सिविल न्यायालय के आदेश को भी नजरदांज करते हुए

क्र -3

(108)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.19.42-II/14 जिला– सीधी

रुद्रपति जोगी विरूद्ध जनार्दन जोगी वगैरह

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री शारदा प्र० मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 52/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 29.03.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	